भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1536

मंगलवार, 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली

1536. श्री आशीष दुबे:

श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक स्वीकृतियों को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी प्रमुख पहल की गई है;

(ख) अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रालयों, विभाग और राज्यों को इस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) एनएसडब्ल्यूएस के माध्यम से वर्तमान में कितने अनुमोदन और सेवाएं उपलब्ध हैं और इसमें किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है; और

(घ) क्या सरकार ने व्यापार करने में आसानी में सुधार लाने और अनुमोदन की समय-सीमा को कम करने पर एनएसडब्ल्यूएस के प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यवसाय से संबंधित अनुमोदनों और स्वीकृतियों के लिए सिंगल इंटरफेस का प्रावधान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर पहलें की हैं। निर्बाध रूप से औद्योगिक अनुमोदन प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित प्रमुख सुविधाओं और संवर्धन कार्यकलापों को कार्यान्वित किया गया है:

- **नो योर अप्रूवल (केवाईए) मॉड्यूल:** यह व्यवसायों को उनके प्रस्तावित प्रचालन के लिए अपेक्षित विशिष्ट अनुमोदनों की पहचान करने में सक्षम बनाने के लिए एक इंटेलीजेंट टूल है।

- **केंद्रीकृत दस्तावेज रिपॉजिटरी:** यह निवेशकों को दस्तावेज़ों को एक बार अपलोड करके और उसका कई एप्लीकेशनों में उपयोग करने की अनुमति प्रदान करने वाला एक ऑनलाइन रिपॉजिटरी है जिससे बार-बार सबमिशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

- **सामान्य पंजीकरण फॉर्म:** निवेशकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए मानकीकृत आवेदन फॉर्म की व्यवस्था शुरु की है।

- **भारतएसिस्ट (एआई चैटबॉट) और शिकायत निवारण तंत्र:** एक एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की सहायता करने और प्रश्नों का कुशल समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म पर एक एआई-समर्थित चैटबॉट लाया गया है।

- **उन्नत प्लेटफॉर्म क्षमताएं:** इस प्लेटफॉर्म पर अब 22 भारतीय भाषाओं में बहुभाषी सहायता प्रदान करने के लिए पैन-आधारित सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ), एकीकृत डैशबोर्ड, एकीकृत भुगतान गेटवे और भाषिणी एकीकरण शामिल किया गया है।

- **एंड-टू-एंड एपीआई एकीकरण:** इस प्लेटफॉर्म ने चिह्नित व्यावसायिक अनुमोदनों के लिए एंड-टू-एंड एपीआई-आधारित फाइलिंग को सक्षम करके पूर्ण डिजिटलीकरण की दिशा में प्रगति की है।

- **एंटिटीलॉकर:** एनएसडब्ल्यूएस को एंटिटीलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है ताकि निवेशकों को डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेज प्राप्त करने और जमा करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे केंद्र और राज्य अनुमोदनों की कागज रहित, सुरक्षित और उस पर तेजी से कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस), जिसे nsws.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही सहित सुव्यवस्थित तरीके से उद्योग के लिए गवर्नमेंट टू बिजनेस (जी2बी) अनुमोदन और निवेशक-संबंधित मंजूरी को सुगम बनाने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वर्तमान में, एनएसडब्ल्यूएस 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एकीकृत है, जो एक

ही प्लेटफॉर्म के जरिए 325 केंद्रीय जी2बी अनुमोदनों और 2215 राज्य जी2बी अनुमोदनों तक निर्बाध पहुंच प्रदान करता है।

(घ): एनएसडब्ल्यूएस, व्यवसायों को पंजीकरण, अनुमोदन और लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एक निर्बाध अनुभव प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, तथापि, अनुमोदन प्रदान करने की समय-सीमा मौजूदा व्यावसायिक प्रक्रियाओं, सेवा प्रदान करने वाले तंत्र और संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों की सांविधिक अपेक्षाओं पर निर्भर करती है। जबकि अनुमोदन की समय-सीमा को कम करने के संबंध में अलग से कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है, एनएसडब्ल्यूएस में आवेदनों की प्रोसेसिंग की मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालयों और विभागों को डैशबोर्ड तथा अलर्ट की सुविधाएं प्रदान की गईं हैं, इस प्रकार पारदर्शिता बढ़ी है और समय पर कार्रवाई को सक्षम बनाया गया है।
